**कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़,**

**इन्द्रावती भवन, ब्लाक–एक, तृतीय तल, अटल नगर**

**जिला रायपुर**

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधिनस्थ, कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़ संचालित है । इस कार्यालय के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नानुसार कार्य किये जाते हैं :–

1/ छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधन 1998) के तहत् साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षणिक, खैरातिक एवं जनकल्याणकारी प्रकृति के उद्देश्यों के निहतार्थ गठित समितियों का नवयुवक मण्डल, महिला मण्डल, महिला स्व सहायता समूह एवं अन्य सामान्य समितियों का पंजीयन, पंजीकृत नियमावली में संशोधन, धारा–21 के अधीन भूमि क्रय/विक्रय की पूर्वानुमति, अधिनियम की धारा–27 एवं 28 के तहत् समिति की ओर से वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत आमसभा एवं लेखा–जोखा संबंधी जानकारियों पर परीक्षण तथा पंजीकृत समितियों के दस्तावेजों के प्रतिलिपि जारी करने, धारा–32 के अधीन जांच तथा विवादों का निराकरण व विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रशासन का कार्य किया जाता है ।

**2/** इस कार्यालय के अंतर्गत भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत भागीदारी फर्मों के पंजीयन तथा भागीदारों के रचना में परिवर्तन को रिकार्ड में लेने की कार्यवाही की जाती है। आवश्यकतानुसार भागीदारों द्वारा चाहे जाने पर प्रलेखों की प्रतिलिपियां जारी की जाती हैं ।

3/ छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के अधीन समितियों तथा भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन फर्मों के पंजीयन का कार्य दिनांक 30.06.2017 से ऑनलाइन प्रारंभ कर दिया गया है, जिसका वेबसाइट rfas.cg.nic.in है।

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
## रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़, अटल नगर, जिला रायपुर
## के कार्यकलाप से संबंधित जानकारी सूची

(i) अपने संगठन की विशिष्टियॉं, कृत्य और कर्तव्य

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाले प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसका भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो,

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(xii) सहात्यिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

(xiv) किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा

## (i)(अ) कार्यालय की विशिष्टियॉं, कृत्य और कर्तव्य :–
### विभागीय कार्यों की सामान्य जानकारी :–

**(1) छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973(संशोधित 1998) :–** इस अधिनियम के अधीन शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामान्य जनकल्याणकारी व अन्य प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों, अर्द्ध–शासकीय संस्थाओं का भी समिति के रूप में पंजीयन किया जाता है। पंजीकृत संस्थाओं में उत्पन्न विवादों की जांच तथा आवश्यकतानुसार विशेष आडिट, निरीक्षण, निर्वाचन इत्यादि का प्रशासनिक कार्य किया जाता है। पंजीकृत संस्थाओं के नियमावली में समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन/स्वीकृति दी जाती है । समिति की ओर से भेजे जाने वाले प्रबंधकारिणी की सूची को रिकार्ड में लिया जाता है तथा समिति द्वारा प्रस्तुत उनके वार्षिक लेखा–जोखा संबंधी आय–व्यय पत्रक प्राप्त होने पर इसका भी रिकार्ड संधारित किया जाता है । अधिनियम की धारा–29 के तहत् कार्यालयीन उपलब्ध दस्तावेजों की नकल जारी करने संबंधी कार्य किया जाता है ।

**(2) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 :–** इस अधिनियम के अधीन भागीदारी फर्मों का पंजीयन किया जाता है एवं फर्म की रचना में परिवर्तन तथा फर्मों के विघटन की सूचना प्राप्त होने पर रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तथा भागीदार या अन्य द्वारा नियम 67 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने पर नकल जारी करने का कार्य किया जाता है ।

**(3)** रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं के अधीनस्थ चार संभागीय कार्यालय, कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, बिलासपुर संभाग, कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, सरगुजा संभाग, कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, दुर्ग संभाग, कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, बस्तर संभाग के रूप में स्थापित किया गया है । इनमें पदस्थ सहायक पंजीयकों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा–6, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 25(2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39, के अधीन कार्य संपन्न किये जाते हैं ।

उक्त के अलावा संभागीय कार्यालयों में भागीदारी फर्मों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का भी पंजीयन, संशोधन, विघटन, रिकार्ड में लेने तथा नकल जारी करने का कार्य किया जाता है ।

## (ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

## (अ) कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़

**इन्द्रावती भवन, ब्लाक–एक, तृतीय तल, अटल नगर, जिला रायपुर**

### अधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य

| क्र. | अधिकारी का नाम व पदनाम | अधिकार व कर्तव्य | रिमार्क |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री रणबीर शर्मा रजिस्ट्रार | 01. छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) के अधीन पंजीयक को प्रदत्त समस्त अधिकार तथा संपूर्ण राज्य में अधिनियम के उपबंधों का कियान्वित/प्रशासन कराना ।<br>• वर्तमान व्यवस्था के तहत् निम्न कार्य पंजीयक के अधीन है :–<br>• अधिनियम की धारा 21 – सोसायटी स्थावर संपत्ति का अर्जन या विक्रय या अंतरण की अनुमति<br>• अधिनियम की धारा 26 के तहत् अभिलेखों आदि के अधिग्रहण करने के लिए रजिस्ट्रार की शक्ति<br>• अधिनियम की धारा 30 – समन करने तथा हाजिर करने की शक्ति<br>• अधिनियम की धारा 32 – जांच तथा विवादों का निपटारा<br>• अधिनियम की धारा 34 – सोसायटी के विघटन और उनके कार्यकलापों के समायोजन के उपबंध<br>• अधिनियम की धारा 40 – अपील प्रकरण पर सुनवाई<br><br>**02.** भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 एवं छत्तीसगढ़ भागीदारी (फर्मों के पंजीयन) नियम 1951 में प्रदत्त सभी अधिकारों के तहत् धारा–59 रजिस्ट्रीकरण धारा–60 फर्म के नाम में और कारोबार के मुख्य स्थान में परिवर्तनों का अभिलेख, धारा–62 भागीदारों के नामों एवं पते में तब्दिलियों का टिप्पणीत किया जाना, धारा–63 फर्म में तब्दीलियों एवं उसके विघटन का अभिलेख, धारा–64 भूलों का परिशोधन एवं धारा–65 न्यायालय के आदेश से रजिस्टर संशोधन, नियम 1991 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | के धारा–5, पंजीयक का जांच तथा अनुसंधान का अधिकार संबंधी अधिकारों का उपयोग तथा प्रशासन का कार्य । | |
| 2. | श्री डी.डी.महंत<br>सहायक<br>पंजीयक | 1.सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी।<br>2.अपील/शिकायत प्रकरणों में रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं द्वारा सौंपे गये कार्य। | |
| 2 | श्री आर. आर. राजभानू<br>सहायक<br>पंजीयक | **01.** छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 4–13/2018/11/(6), दिनांक 24.09.2018 द्वारा रजिस्ट्रार के प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने हेतु कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य स्तर की संस्था के लिए छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) के अधीन निम्नांकित कर्तव्यों के पालन करने के लिए नियुक्ति :–<br>● अधिनियम की धारा 6 – प्रतिष्ठान ज्ञापन के संबंध में अपेक्षाऐं<br>● अधिनियम की धारा 7 – रजिस्ट्रीकरण<br>● अधिनियम की धारा 10 – रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के ज्ञापन व विनियमों या उपविधियों में संशोधन अधिनियम की धारा 11 – सोसायटी के ज्ञापन विनियमों आदि को संशोधन करने की शक्ति<br>● अधिनियम की धारा–12 – सोसायटी के नाम की तब्दीली<br>● अधिनियम की धारा 13 – नाम तब्दीली की सूचना<br>● अधिनियम की धारा 15 – सोसायटियॉ को अपने प्रयोजनों में परिवर्तन करने अथवा न्यून करने के लिए प्रावधान पर कार्यवाही<br>● अधिनियम की धारा 16 – प्रत्येक सोसायटी अपने सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी जिसमें सदस्यों के नाम पते तारीख<br>● अधिनियम की धारा 17 – सदस्यों पर व्यक्तियों की भांतिवाद चलाना<br>● अधिनियम की धारा 18 – अपराधों के दोषी सदस्य व्यक्तियों की भांति दण्ड देना | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • अधिनियम की धारा 25(2) लेखा पुस्तकें रखरखाव<br>• अधिनियम की धारा 27 – शासीनिकाय की वार्षिक सूची फाईलिंग की जानकारी<br>• अधिनियम की धारा 28 – संपरीक्षा तथा निरीक्षण<br>• अधिनियम की धारा 29– दस्तावेजों का निरीक्षण, रजिस्ट्रार के पास फाईल किये गये समस्त दस्तावेजों या उनमें से निरीक्षण या ऐसी फीस जैसी विहित की जाए<br>• अधिनियम की धारा 31 – जानकारी मंगाने की रजिस्ट्रार की शक्ति<br>• अधिनियम की धारा–34 के तहत् महिला स्व सहायता समूह, महिला मंडल, नवयवुक मंडल श्रेणी के सभी संभागों की समितियों का पंजीयन निरस्तीकरण<br>• अधिनियम की धारा 37 – अपराधों का संज्ञान<br>• अधिनियम की धारा 38 – धारा 27 का पालन न करने का मिथ्या प्रविष्टि के लिये शास्ति<br>• अधिनियम की धारा 39 – धारा 28 तथा 31 के उल्लंघन के लिए शास्ति एवं राज्य शासन द्वारा आवश्यकतानुसार अधिसूचना जारी कर प्रदत्त किये जाने वाले अधिकार। | |
| 3 | श्री आर. आर. राजभानू<br>सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, रायपुर संभाग | • अधिनियम की धारा 6 – प्रतिष्ठान ज्ञापन के संबंध में अपेक्षाऐं<br>• अधिनियम की धारा 7 – रजिस्ट्रीकरण<br>• अधिनियम की धारा 10 – रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के ज्ञापन व विनियमों या उपविधियों में संशोधन अधिनियम की धारा 11 – सोसायटी के ज्ञापन विनियमों आदि को संशोधन करने की शक्ति<br>• अधिनियम की धारा–12 – सोसायटी के नाम की तब्दीली<br>• अधिनियम की धारा 13 – नाम तब्दीली की सूचना | छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–5/2008/11/(6), दिनांक 29.12.2016 द्वारा रजिस्ट्रार के प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने हेतु कार्यक्षेत्र रायपुर संभाग स्तर की संस्था के लिए छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) के अधीन निम्नांकित कर्तव्यों के पालन करने के लिए नियुक्ति :– |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • अधिनियम की धारा 15 – सोसायटियॉ को अपने प्रयोजनों में परिवर्तन करने अथवा न्यून करने के लिए प्रावधान पर कार्यवाही<br>• अधिनियम की धारा 16 – प्रत्येक सोसायटी अपने सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी जिसमें सदस्यों के नाम, पते, तारीख<br>• अधिनियम की धारा 17 – सदस्यों पर व्यक्तियों की भांतिवाद चलाना<br>• अधिनियम की धारा 18 – अपराधों के दोषी सदस्य व्यक्तियों की भांति दण्ड देना<br>• अधिनियम की धारा 25(2) लेखा पुस्तकें रखरखाव<br>• अधिनियम की धारा 27 – शासीनिकाय की वार्षिक सूची फाईलिंग की जानकारी<br>• अधिनियम की धारा 28 – संपरीक्षा तथा निरीक्षण<br>• अधिनियम की धारा 29– दस्तावेजों का निरीक्षण, रजिस्ट्रार के पास फाईल किये गये समस्त दस्तावेजों या उनमें से निरीक्षण या ऐसी फीस जैसी विहित की जाए<br>• अधिनियम की धारा 31 – जानकारी मंगाने की रजिस्ट्रार की शक्ति<br>• अधिनियम की धारा 37 – अपराधों का संज्ञान<br>• अधिनियम की धारा 38 – धारा 27 का पालन न करने का मिथ्या प्रविष्टि के लिये शास्ति<br>• छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–5/2008/11/6, दिनांक 29.12.2016 द्वारा भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन भागीदारी फर्मों के रजिस्ट्रार नियुक्ति किया गया है। | |
| 4. | श्री आर. आर. राजभानू<br>सहायक पंजीयक, फर्म्स | तदैव | छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–5/2008/11/(6), |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | एवं संस्थाएं, बस्तर संभाग | | दिनांक 29.12.2016 द्वारा रजिस्ट्रार के प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने हेतु कार्यक्षेत्र बस्तर संभाग स्तर की संस्था के लिए छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) के अधीन निम्नांकित कर्तव्यों के पालन करने के लिए नियुक्ति :– |
| 5. | श्री अजय चौबे सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, बिलासपुर संभाग | • अधिनियम की धारा 6 – प्रतिष्ठान ज्ञापन के संबंध में अपेक्षाऐं<br>• अधिनियम की धारा 7 – रजिस्ट्रीकरण<br>• अधिनियम की धारा 10 – रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के ज्ञापन व विनियमों या उपविधियों में संशोधन अधिनियम की धारा 11 – सोसायटी के ज्ञापन विनियमों आदि को संशोधन करने की शक्ति<br>• अधिनियम की धारा–12 – सोसायटी के नाम की तब्दीली<br>• अधिनियम की धारा 13 – नाम तब्दीली की सूचना<br>• अधिनियम की धारा 15 – सोसायटियॉ को अपने प्रयोजनों में परिवर्तन करने अथवा न्यून करने के लिए प्रावधान पर कार्यवाही<br>• अधिनियम की धारा 16 – प्रत्येक सोसायटी अपने सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी जिसमें सदस्यों के नाम, पते, तारीख<br>• अधिनियम की धारा 17 – सदस्यों पर व्यक्तियों की भांतिवाद चलाना<br>• अधिनियम की धारा 18 – अपराधों के दोषी सदस्य व्यक्तियों की भांति दण्ड देना<br>• अधिनियम की धारा 25(2) लेखा पुस्तकें रखरखाव<br>• अधिनियम की धारा 27 – शासीनिकाय की वार्षिक सूची फाईलिंग की जानकारी | छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–5/2008/11/(6), दिनांक 29.12.2016 द्वारा रजिस्ट्रार के प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने हेतु कार्यक्षेत्र बिलासपुर संभाग स्तर की संस्था के लिए छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) के अधीन निम्नांकित कर्तव्यों के पालन करने के लिए नियुक्ति :– |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • अधिनियम की धारा 28 – संपरीक्षा तथा निरीक्षण<br>• अधिनियम की धारा 29– दस्तावेजों का निरीक्षण, रजिस्ट्रार के पास फाईल किये गये समस्त दस्तावेजों या उनमें से निरीक्षण या ऐसी फीस जैसी विहित की जाए<br>• अधिनियम की धारा 31 – जानकारी मंगाने की रजिस्ट्रार की शक्ति<br>• अधिनियम की धारा 37 – अपराधों का संज्ञान<br>• अधिनियम की धारा 38 – धारा 27 का पालन न करने का मिथ्या प्रविष्टि के लिये शास्ति<br>• छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–5/2008/11/6, दिनांक 29.12.2016 द्वारा भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन भागीदारी फर्मों के रजिस्ट्रार नियुक्ति किया गया है। | |
| 6. | श्री अजय चौबे सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, सरगुजा संभाग | तदैव | छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–5/2008/11/(6), दिनांक 29.12.2016 द्वारा रजिस्ट्रार के प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने हेतु कार्यक्षेत्र सरगुजा संभाग स्तर की संस्था के लिए छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) के अधीन निम्नांकित कर्तव्यों के पालन करने के लिए नियुक्ति :– |
| 7. | श्री डी. एल. धुर्वे सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, दुर्ग संभाग | • अधिनियम की धारा 6 – प्रतिष्ठान ज्ञापन के संबंध में अपेक्षाऐं<br>• अधिनियम की धारा 7 – रजिस्ट्रीकरण<br>• अधिनियम की धारा 10 – रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के ज्ञापन व विनियमों या उपविधियों में संशोधन | छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–5/2008/11/(6), दिनांक 29.12.2016 द्वारा रजिस्ट्रार के प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने हेतु |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | अधिनियम की धारा 11 – सोसायटी के ज्ञापन विनियमों आदि को संशोधन करने की शक्ति<br>• अधिनियम की धारा–12 – सोसायटी के नाम की तब्दीली<br>• अधिनियम की धारा 13 – नाम तब्दीली की सूचना<br>• अधिनियम की धारा 15 – सोसायटियॉ को अपने प्रयोजनों में परिवर्तन करने अथवा न्यून करने के लिए प्रावधान पर कार्यवाही<br>• अधिनियम की धारा 16 – प्रत्येक सोसायटी अपने सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी जिसमें सदस्यों के नाम, पते, तारीख<br>• अधिनियम की धारा 17 – सदस्यों पर व्यक्तियों की भांतिवाद चलाना<br>• अधिनियम की धारा 18 – अपराधों के दोषी सदस्य व्यक्तियों की भांति दण्ड देना<br>• अधिनियम की धारा 25(2) लेखा पुस्तकें रखरखाव<br>• अधिनियम की धारा 27 – शासीनिकाय की वार्षिक सूची फाईलिंग की जानकारी<br>• अधिनियम की धारा 28 – संपरीक्षा तथा निरीक्षण<br>• अधिनियम की धारा 29– दस्तावेजों का निरीक्षण, रजिस्ट्रार के पास फाईल किये गये समस्त दस्तावेजों या उनमें से निरीक्षण या ऐसी फीस जैसी विहित की जाए<br>• अधिनियम की धारा 31 – जानकारी मंगाने की रजिस्ट्रार की शक्ति<br>• अधिनियम की धारा 37 – अपराधों का संज्ञान<br>• अधिनियम की धारा 38 – धारा 27 का पालन न करने का मिथ्या प्रविष्टि के लिये शास्ति<br>• छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–5/2008/11/6, दिनांक 29.12.2016 द्वारा भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन भागीदारी | कार्यक्षेत्र दुर्ग संभाग स्तर की संस्था के लिए छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) के अधीन निम्नांकित कर्तव्यों के पालन करने के लिए नियुक्ति :– |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | फर्मों के रजिस्ट्रार नियुक्ति किया गया है। | |

# (ii)(ब)

## कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़

**इन्द्रावती भवन, ब्लाक–एक, तृतीय तल, अटल नगर, जिला रायपुर**

**कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य**

| क्र. | कर्मचारी का नाम एवं पदनाम | अधिकार व कर्तव्य |
|---|---|---|
| 1 | श्री प्रमोद कुजूर, निरीक्षक | पंजीयक एवं सहायक पंजीयकों द्वारा सौंपे गये कार्य, सहायक जनसूचना अधिकारी, सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही, न्यायालयीन/अपील कार्य, जांच, शिकार्यत, लोकसभा, विधानसभा से संबंधित कार्य । श्री अर्जुन शर्मा, सहायक अधीक्षक के अनुपस्थिति में उनको आवंटित कार्य करना । |
| 2 | श्रीमती अनुपमा कुजूर, निरीक्षक | पंजीयक एवं सहायक पंजीयकों द्वारा सौंपे गये कार्य , बलौदाबाजार, धमतरी जिले अधिनियम की धारा–27 एवं 28 (रिटर्न) संबंधी कार्य, लेखा कार्य । |
| 3 | श्री अर्जुन प्रसाद शर्मा, सहायक अधीक्षक | पंजीयक एवं सहायक पंजीयकों द्वारा सौंपे गये कार्य। राज्य स्तरीय समितियों के मूल नस्ती कक्ष का प्रभार, नकल कार्य, धारा–27 एवं 28 (रिटर्न), के अंतर्गत प्राप्त जानकारियों पर परीक्षण कर कार्यवाही प्रस्तावित करना, स्टाक, लाईब्रेरी, आवक–जावक प्रभारी एवं धारा–21 के अधीन प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही प्रस्तावित करना एवं स्थापना कक्ष, सामान्य कक्ष का कार्य, श्री प्रमोद कुजूर, निरीक्षक की अनुपस्थिति में उनको आवंटित कार्य करना । |
| 4 | श्री भोला प्रसाद पटेल सहायक ग्रेड–2 | पंजीयक एवं सहायक पंजीयकों द्वारा समय–समय पर आबंटित कार्य। रिकार्ड कक्ष, शिकायत दुर्ग संभाग, नकल, नस्तियों का रख–रखाव। |
| 5 | श्री अनिल कुमार साव सहायक ग्रेड–2 | पंजीयक एवं सहायक पंजीयकों द्वारा समय–समय पर आबंटित कार्य। समिति, फर्मों का ऑनलाईन पंजीयन। संशोधन, परिवर्तन, आवक–जावक, डाटा एंट्री का कार्य। |
| 6 | श्री अनिल सिंह ठाकुर सहायक ग्रेड–2 | पंजीयक एवं सहायक पंजीयकों द्वारा सौंपे गये कार्य। पंजीयक का निजि सहायक का कार्य, आवक–जावक, सामान्य कक्ष का कार्य। |
| 7. | श्री चित्रबहादुर गुरूंग दफ्तरी | मंत्रालय में संलग्न। |

## कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, बिलासपुर संभाग

**नया कम्पोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर, बिलासपुर के**
**कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य**

| क्र. | कर्मचारी का नाम एवं पदनाम | अधिकार व कर्तव्य |
|---|---|---|
| 1 | श्री सतीश शर्मा<br>निरीक्षक | कार्यालय व्यवस्था, लेखा, स्थापना/स्टॉक कक्ष, सुरक्षा व नियंत्रण, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन प्राप्त समस्त ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदनों का निराकरण हेतु कार्यवाही प्रस्तावित करना। मूल अभिलेख, रिकार्ड कक्ष, आवक–जावक कक्ष के प्रभारी। छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन संभाग में पंजीकृत संस्थाओं की ओर से प्राप्त समस्त आवेदनों का संधारण व क्रियान्वयन संबंधी दायित्वों का निर्वहन। समय–समय पर पंजीयक व सहायक पंजीयक द्वारा सौंपे गये कार्य। |

## कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, सरगुजा संभाग

**अम्बेडकर चौक, दत्ता भवन, विद्या नगर, अम्बिकापुर के**
**कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य**

| क्र. | कर्मचारी का नाम एवं पदनाम | अधिकार व कर्तव्य |
|---|---|---|
| 1 | श्री यशवंत कटकवार<br>ऑडिटर | कार्यालय के अधीक्षक संबंधी संपूर्ण कार्य। स्थापना, लेखा, शासन को प्रेषित की जाने वाली जानकारी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, विधानसभा, लोकसभा प्रश्नों का उत्तर, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की जानकारी, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन ऑनलाईन पंजीयन, संशोधन प्राप्त शिकायत जांच, ऑडिट व प्रबंध समिति की प्रमाणित सूची के आवेदनों का परीक्षण। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन ऑनलाईन प्राप्त पंजीयन, परिवर्तन एवं फर्म से संबंधित प्राप्त शिकायत, प्रमाणित प्रति के प्राप्त आवेदनों का परीक्षण। संस्थाओं एवं फर्मों के नस्तियों का समय बद्ध अनुसार छटाई कर सरगुजा कार्यालय में सुरक्षित संधारित करेंगे। संस्थाओं की रिटर्न नस्ती भी सरगुजा कार्यालय में सुरक्षित संधारित करेंगे। स्टॉक व स्टेशनरी कक्ष के कार्यों को सम्पादित करेंगे। |
| 2. | श्री कमल सागर पंत<br>सहायक वर्ग–3 | श्री यशवंत कटकवार, ऑडिटर के मार्गदर्शन व निर्देशानुसार कार्यालयीन कार्यों को संपादित करना। संस्थाओं एवं भागीदारी फर्मों के नस्तियों का व्यवस्थित रूप में संधारण करना। मूल रिकार्ड सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व। आवक–जावक, आम जनता को सामान्य जानकारी देना। |

# कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, दुर्ग संभाग

## एम.आई.जी. 258, हाऊसिंग बोर्ड, पदमनाभपुर, दुर्ग के कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

| क्र. | कर्मचारी का नाम एवं पदनाम | अधिकार व कर्तव्य |
|---|---|---|
| 1 | श्री नरेन्द्र नारनवरे<br>निरीक्षक/सहायक पंजीयक | 1. दुर्ग संभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के धारा 10, 13,27,28 एवं धारा 29, सूची पर कार्यवाही, शिकायत पर कार्यवाही<br>2. भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन प्राप्त फर्म परिवर्तन/विघटन के प्रकरणों का परीक्षण एवं प्रस्तुती कार्य।<br>3. रिटर्न कक्ष के रिकार्डों का संधारण एवं कक्ष प्रभारी का कार्य।<br>4. वेतन एवं लेखा/स्थापना संबंधी समस्त कार्य।<br>5. स्टेशनरी, स्टॉक रजिस्टर प्रविष्ठी एवं स्टॉक कक्ष प्रभारी।<br>6. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही।<br>7. शासन, प्रशासन, मुयालय, जनदर्शन, जनशिकायत, लोकसुराज के प्रकरणों/पत्रों पर कार्यवाही।<br>8. विधानसभा, माननीय सांसद, माननीय मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि से संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही।<br>9. कार्यालयीन व्यवस्था एवं सुरक्षा तथा कार्यालय अधीक्षण का कार्य, न्यायालयीन प्रकरण कार्य।<br>10. पंजीयक एवं सहायक पंजीयक द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्य। |
| 2. | श्री लोकेश्वर पाटकर<br>सहायक वर्ग–3 | 1. दुर्ग संभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के धारा 7 के अंतर्गत ऑनलाईन पंजीयन का कार्य, कार्यालय के समस्त कम्प्युटर टायपिंग कार्य, कम्प्युटर कक्ष प्रभारी, मूल रिकार्ड के संधारण एवं मूल रिकार्ड कक्ष प्रभारी, मासिक प्रतिवेदन एवं आय–व्यय का विवरण तैयार करना। वेतन एवं लेखा कार्यों में सहयोग करना।<br>2. उपस्थिति पंजी का संधारण करना।<br>3. लोकसुराज, जनदर्शन, जनशिकायत के प्रकरणों में त्वरित निराकरण में निरीक्षक द्वारा बताये अनुसार कार्य।<br>4. कार्यालय की स्वच्छता, साफ–सफाई प्रभारी।<br>5. सोसायटी एवं फर्मों के नकल कार्य।<br>6. दुर्ग संभाग अंतर्गत आवक–जावक कक्ष प्रभारी।<br>7. पंजीयक एवं सहायक पंजीयक द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्य। |

# कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, बस्तर संभाग

## बोधघाट थाना के पीछे, पुराना हाई स्कूल परिसर, बोधघाट जगदलपुर के कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

| क्र. | कर्मचारी का नाम एवं पदनाम | अधिकार व कर्तव्य |
|---|---|---|
| 1 | श्री बसंत कुमार दीवान<br>सहायक वर्ग–2 | सहायक पंजीयक, बस्तर संभाग द्वारा सौंपे गये कार्य, सहायक जनसूचना अधिकारी, सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही, न्यायालयीन/अपील कार्य, जांच, शिकायत, लोकसभा, विधानसभा, सामान्य कक्ष से संबंधित कार्य। बस्तर संभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के अधीन पंजीयन, धारा 27/28, धारा 10 संशोधन के कार्य एवं लेखा कक्ष के कार्य। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन नकल, पंजीयन, संशोधन, जावक का कार्य। बस्तर संभाग के अंतर्गत समिति व फर्मों के मूल रिकार्ड कक्ष का प्रभारी एवं रख–रखाव का कार्य। बस्तर संभाग के अंतर्गत समितियों के ज्ञापन विधान एवं फर्मों के नकल का कार्य। आवक/जावक व टायपिंग का कार्य व कार्यालय व्यवस्था, कम्प्यूटर स्टॉक, स्टोर, फोटो कॉपी, नकल कार्य, मूल नस्ती कक्ष का प्रभार एवं समय–समय पर सौंपे गये कार्य। |

# (iii)

## विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाले प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

## कार्यालयीन नियंत्रण एवं प्रशासकीय व्यवस्था

**पंजीयक**
**फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़**

| उपपंजीयक (प्रथम श्रेणी) पद रिक्त | सहायक पंजीयक (द्वितीय श्रेणी) छत्तीसगढ़ राज्य स्तर एवं रायपुर संभाग स्तरीय समितियों एवं फर्मो का पंजीयन | सहायक पंजीयक (द्वितीय श्रेणी) बस्तर संभाग स्तरीय समितियों एवं फर्मो का पंजीयन | सहायक पंजीयक (द्वितीय श्रेणी) बिलासपुर संभाग स्तरीय समितियों एवं फर्मो का पंजीयन | सहायक पंजीयक (द्वितीय श्रेणी) सरगुजा संभाग स्तरीय समितियों एवं फर्मो का पंजीयन | सहायक पंजीयक (द्वितीय श्रेणी) दुर्ग संभाग स्तरीय समितियों एवं फर्मो का पंजीयन |
|---|---|---|---|---|---|
| निरीक्षक<br>ऑडिटर<br>सहायक अधीक्षक<br>स्टेनोग्राफर<br>सहायक वर्ग–2<br>सहायक वर्ग–3<br>डाटा एन्ट्री ऑपरेटर<br>स्टेनो टायपिस्ट<br>दफ्तरी<br>भृत्य<br>प्रोसेस सर्वर<br>चौकीदार/फर्राश<br>वाहन चालक | | निरीक्षक<br>ऑडिटर<br>सहायक वर्ग–2<br>सहायक वर्ग–3<br>भृत्य<br>प्रोसेस सर्वर<br>चौकीदार/फर्राश | निरीक्षक<br>ऑडिटर<br>सहायक वर्ग–2<br>सहायक वर्ग–3<br>भृत्य<br>प्रोसेस सर्वर<br>चौकीदार/फर्राश | निरीक्षक<br>ऑडिटर<br>सहायक वर्ग–2<br>सहायक वर्ग–3<br>भृत्य<br>प्रोसेस सर्वर<br>चौकीदार/फर्राश | निरीक्षक<br>ऑडिटर<br>सहायक वर्ग–2<br>सहायक वर्ग–3<br>भृत्य<br>प्रोसेस सर्वर<br>चौकीदार/फर्राश |

## (iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में जारी अधिसूचना अनुसार समिति एवं फर्मों के लिए एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण दिनांक 05.10.2016 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में जारी अधिसूचना अनुसार अधिनियम की धारा 21 के अधीन संस्थाओं की ओर से चल–अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय करने दान लेने–देने अथवा हस्तांतरण या अंतरण करने की स्थिति में पूर्वानुमति प्रदाय किये जाने हेतु निम्नानुसार मापमान (समय–सीमा) निर्धारित किए गए हैं :–

| क्र. | कार्यालय / निकाय / अभिकरण का नाम | छ.ग.लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है | सेवा प्रदाय करने की समय–सीमा (कार्य दिवस) | सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद) | सक्षम अधिकारी | अपीलीय अधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़, अटल नगर, जिला रायपुर | छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधन 1998) की धारा–7 के अधीन समिति, नवयुवक मंडल, महिला मंडल, महिला स्व सहायता समूह, के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही | 30 कार्य दिवस | सहायक पंजीयक को अधिनियम की धारा–4(2) के तहत् प्राधिकृत अधिकारी | पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़ | सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग |
| 2 | सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं | छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधन 1998) की धारा–7 के अधीन समिति, नवयुवक मंडल, महिला मंडल, महिला स्व सहायता समूह, के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही | 30 कार्य दिवस | सहायक पंजीयक को अधिनियम की धारा–4(2) के तहत् प्राधिकृत अधिकारी | पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़ | सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग |
| | | 2. भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 | 15 दिवस | सहायक पंजीयक को | पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, | सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | की धारा–59 के अधीन भागीदारी फर्मों के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही | | अधिनियम की धारा–4(2) के तहत् प्राधिकृत अधिकारी | छत्तीसगढ़ | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग |
| 3. | कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़, अटल नगर, जिला रायपुर | छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधन 1998) अधिनियम की धारा 21 के अधीन संस्थाओं की ओर से चल–अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय करने दान लेने–देने अथवा हस्तांतरण या अंतरण करने की स्थिति में पूर्वानुमति प्रदाय किये जाने हेतु | 30 दिवस | पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ | पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ . | सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग |

## (v)

## अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

1/ छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधन 1998) के तहत् साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षणिक, खैरातिक एवं जनकल्याणकारी प्रकृति के उद्देश्यों के निहतार्थ गठित समितियों का नवयुवक मण्डल, महिला मण्डल, महिला स्व सहायता समूह एवं अन्य सामान्य समितियों का पंजीयन व अन्य कार्यवाही हेतु इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षण का कार्य ।

2/ भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत भागीदारी फर्मों के पंजीयन तथा भागीदारों के रचना में परिवर्तन को रिकार्ड में लेने हेतु परीक्षण की कार्यवाही तथा आवश्यकतानुसार भागीदारों द्वारा चाहे जाने पर प्रलेखों की प्रतिलिपियां उपलब्ध करवाने की कार्यवाही ।

3/ छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत उपरोक्त प्रकरणों के समय–सीमा पर निराकरण हेतु परीक्षण व अन्य कार्यवाही ।

4/ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु परीक्षण व अन्य कार्यवाही ।

## (vi) ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण :–

## विभाग में उपलब्ध अभिलेखों की सूची

1/ आवक पंजी (वर्ष 2011 के पूर्व पंजी के रूप में) एवं इसके पश्चात् कम्प्यूटर में दर्ज अभिलेख के रूप में संधारित (गत दस वर्षों का)
2/ जावक पंजी (गत दस वर्षों का)
3/ छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) के अधीन समितियों का पंजीयन रजिस्टर (दिनांक 30.06.2017 के पूर्व पंजी के रूप में एवं इसके पश्चात कम्प्यूटर में दर्ज अभिलेख के रूप में संधारित)
4/ छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) के अधीन पंजीकृत समितियों का नकल रजिस्टर (गत दस वर्षों का)
5/ छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) के अधीन पंजीकृत समितियों की नस्ती
6/ पंजीकृत सोसायटियों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों की पंजी (13.02.2018 के पूर्व के) 13.02.2018 से ऑनलाईन दर्ज है।
7/ पंजीकृत सोसायटियों द्वारा धारा–21 के अधीन भूमि क्रय/विक्रय करने की पूर्वानुमति संबंधी पंजी
8/ पंजीकृत सोसायटियों के कार्यकलापों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की पंजी
9/ सहायक पंजीयक एवं अन्य के विरूद्ध अपील पंजी
10/ न्यायालयीन प्रकरण की जानकारी पंजी
11/ पंजीकृत सोसायटियों के विरूद्ध संस्थित धारा 32 के अधीन जांच आदेश की पंजी
12/ भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन अभिस्वीकृति के रिकार्ड पंजीबद्ध किये जाने का रजिस्टर (दिनांक 30.06.2017 के पूर्व पंजी के रूप में एवं इसके पश्चात कम्प्यूटर में दर्ज अभिलेख के रूप में संधारित)
13/ भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन पंजीबद्ध फर्मों की नस्ती
14/ कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी
15/ आबंटन (एलाटमेंट) की नस्ती
16/ रोकड़ पंजी
17/ बिल रजिस्टर
18/ स्टाक बुक
19/ अग्रिम पंजी
20/ छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी प्रारूप–3 (30.06.2017 से पूर्व की) 30.06.2017 से ऑनलाईन है।
21/ छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी प्रारूप–4
22/ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही पंजी व नस्ती।
23/ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राप्त अपील आवेदनों पर कार्यवाही पंजी व नस्ती।

**(vii)**

किसी व्यवस्था की दृष्टियॉ, जो उसकी नीति कि संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है :–

<u>निरंक</u>

(viii)

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसका भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण

**निरंक**

# (ix) (अ)

## अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

## कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़

**इन्द्रावती भवन, ब्लाक–एक, तृतीय तल, अटल नगर, जिला रायपुर**

## अधिकारी / कर्मचारियों की डायरेक्ट्री

| क्र. | अधिकारी / कर्मचारी का नाम | पदनाम | दूरभाष |
|---|---|---|---|
| | | | कार्यालय |
| 1 | श्री रणबीर शर्मा | पंजीयक | 0771–2282549 |
| 2 | श्री डी.डी.महंत | सहायक पंजीयक | 0771–2282549 |
| 3 | श्री आर.आर.राजभानू | सहायक पंजयीक | 0771–2282549 |
| 4 | श्री प्रमोद कुजूर | निरीक्षक | 0771–2282549 |
| 5 | श्रीमती अनुपमा कुजूर | निरीक्षक | 0771–2282549 |
| 6 | श्री ए.पी.शर्मा | सहायक अधीक्षक | 0771–2282549 |
| 7 | श्री भोला प्रसाद पटेल | सहायक ग्रेड–2 | 0771–2282549 |
| 8 | श्री अनिल कुमार साव | सहायक ग्रेड–2 | 0771–2282549 |
| 9 | श्री अनिल सिंह ठाकुर | सहायक ग्रेड–2 | 0771–2282549 |
| 10 | श्री चित्रबहादुर गुरंग | दफ्तरी | 0771–2282549 |

# (ix) (ब)

## कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, बिलासपुर, संभाग बिलासपुर अधिकारी/कर्मचारियों की डायरेक्ट्री

| क्र. | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | पदनाम | दूरभाष |
|---|---|---|---|
| | | | कार्यालय |
| 1 | श्री अजय चौबे | सहायक पंजीयक | 07752–250777 |
| 2. | श्री सतीश शर्मा | निरीक्षक | 07752–250777 |

## कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, सरगुजा, संभाग सरगुजा अधिकारी/कर्मचारियों की डायरेक्ट्री

| क्र. | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | पदनाम | दूरभाष |
|---|---|---|---|
| | | | कार्यालय |
| 1 | श्री अजय चौबे | सहायक पंजीयक | 07774–230317 |
| 2. | श्री यशवंत कटकवार | ऑडिटर | 07774–230317 |
| 3. | श्री कमल सागर पंत | सहायक वर्ग–3 | 07774–230317 |

## कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, दुर्ग, संभाग दुर्ग अधिकारी/कर्मचारियों की डायरेक्ट्री

| क्र. | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | पदनाम | दूरभाष |
|---|---|---|---|
| | | | कार्यालय |
| 1 | श्री डी. एल.धुर्वे | सहायक पंजीयक | 07882–326007 |
| 2. | श्री नरेन्द्र नारनवरे | निरीक्षक/सहायक पंजीयक | 07882–326007 |
| 3. | श्री लोकेश्वर पाटकर | सहायक वर्ग–3 | 07882–326007 |

## कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, बस्तर, संभाग बस्तर अधिकारी/कर्मचारियों की डायरेक्ट्री

| क्र. | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | पदनाम | दूरभाष |
|---|---|---|---|
| | | | कार्यालय |
| 1 | श्री आर. आर. राजभानू | सहायक पंजीयक | 07782–228266 |
| 2. | श्री बसंत दीवान | सहायक वर्ग–2 | 07782–228266 |

(x)

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो,

| पदनाम | श्रेणी | वेतनमान | स्वीकृत पद संख्या |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| रजिस्ट्रार | I | 15600–39100 ग्रेड पे – 7600 | 1 |
| डिप्टी रजिस्ट्रार | I | 15600–39100 ग्रेड पे – 6600 | 1 |
| सहायक पंजीयक | I I | 15600–39100 ग्रेड पे – 5400 | 3 |
| निरीक्षक | I I I | 9300–34800 ग्रेड पे – 4200 | 4 |
| आडिटर | I I I | 5200–20200 ग्रेड पे –2800 | 4 |
| सहायक अधीक्षक | I I I | 5200–20200 ग्रेड पे –2800 | 1 |
| स्टेनोग्राफर | I I I | 5200–20200 ग्रेड पे – 2800 | 1 |
| सहायक ग्रेड – 2 | I I I | 5200–20200 ग्रेड पे – 2400 | 3 |
| सहायक ग्रेड – 3 | I I I | 5200–20200 ग्रेड पे – 1900 | 4 |
| डाटा एंट्री आपरेटर | I I I | 5200–20200 ग्रेड पे – 1900 | 1 |
| स्टेनो टायपिस्ट | I I I | 5200–20200 ग्रेड पे – 1900 | 2 |
| दफ्तरी | IV | 5200–20200 ग्रेड पे – 1800 | 1 |
| भृत्य | IV | 4750–7440 ग्रेड पे – 1300 | 4 |
| प्रोसेस सर्वेन्ट | IV | 4750–7440 ग्रेड पे – 1300 | 3 |
| चौकीदार/फरार्श | IV | जिलाध्यक्ष दर | 3 |
| वाहन चालक | IV | 4750–7440 ग्रेड पे – 1400 | 1 |
| योग | | | 37 |

**(xi)** सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

# निरंक

## (ब) कार्यालय को शासन द्वारा आबंटित बजट

11-7 [ Non Plan]

शीर्ष –[3475] मांग संख्या – 11 – वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय

विभाग – 11– वाणिज्य एव उद्योग विभाग**

1105–पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ

नोट : वित्त विभाग का मूल प्रति में ही आंकडे भरकर बजट प्रस्ताव भेजे। कार्यालयीन प्रति हेतु इस प्रपत्र की फोटो कापी कर उपयोग मे लावें।

(आंकडे हजार रूपये में)

| विभागीय लेखा 2017–2018 | बजट अनुमान 2018–2019 | 12 माह के वास्तविक आंकडे 8 माह–2017–2018 | 4 माह–2018–2019 | योग | पुनरीक्षित अनुमान 2018–2019 | शीर्ष | बजट अनुमा 2019–2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | एक–राजस्व अनुभाग | |
| | | | | | | 3475 – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | |
| | | | | | | {200} – अन्य व्यापारिक उपकमों का विनियम | |
| | | | | | | (255) – अन्य व्यावसायिक उपकमो के विनियमन–भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन | |
| | | | | | | #01 - वेतन भत्ते, आदि | |
| 9805 | 1,23,50 | 8041 | 4203 | 12244 | 123.50 | 001- वेतन | 13214 |
| 2764 | 1,01,65 | 696 | 176 | 872 | 101.65 | 003- महंगाई भत्ता | 11486 |
| 297 | 7,15 | 203 | 100 | 303 | 715 | 006- मकान किराया भत्ता | 765 |
| 95 | 2,11 | 60 | 128 | 188 | 211 | 014- अन्य भत्ते | 225 |
| 28 | 2,14 | 28 | - | 28 | 214 | 015- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 220 |
| - | 50 | - | - | - | 50 | 020- त्यौहार अग्रिम | 50 |
| - | -50 | - | - | - | -50 | 021- घटाइये–वापसियां | -50 |
| - | 1,00 | - | - | - | 100 | 024- चिकित्सा अग्रिम | 100 |
| - | -100 | - | - | - | -100 | 025- घटाइये–वापसियां | -100 |
| **12989** | **2,36,55** | **9028** | **4607** | **13635** | **236.55** | मतदेय **योग उद्देश्य #-01** | **25910** |
| | | | | | | # 02- मजदूरी | |
| 266 | 5,56 | 187 | 102 | 289 | 556 | 005- दैनिक वेतन भोगी | 594 |
| | | | | | | **# 03** - यात्रा भत्ता | |
| 164 | 1,89 | 164 | 51 | 215 | 202 | 001-यात्रा भत्ता दौरे आदि पर | 216 |
| - | 51 | - | - | - | 51 | 002- यात्रा भत्ता स्थानांतरण पर | 55 |
| 164 | **2,40** | **164** | **51** | **215** | **253** | मतदेय **योग उद्देश्य #-03** | 271 |
| | | | | | | # 04- कार्यालय व्यय | |
| 180 | 3,21 | 180 | - | 180 | 321 | 001- डाक तार पर व्यय | 343 |
| 98 | 1,29 | 75 | 40 | 115 | 129 | 002- दूरभाष पर व्यय | 140 |
| 136 | 5,35 | 128 | 08 | 136 | 535 | 003- फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण | 574 |
| 12 | 26 | 12 | - | 12 | 26 | 004- पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं | 30 |
| 49 | 1,60 | 44 | 22 | 66 | 160 | 005 – बिजली एवं जल प्रभार | 171 |
| 5 | 23 | 5 | - | 05 | 23 | 006–वर्दियां | 25 |
| **485** | 6,42 | 429 | 48 | 477 | **642** | **007–लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई** | **686** |

300Major head : 3475

लेखा शीर्ष –|3475| मांग संख्या – 11 – वाणिज्य एवं उद्योग विभाग संबंधित व्यय

नोट : वित्त विभाग का मूल प्राति मे ही आकड़े भरकर बजट प्रस्ताव भेजे। कार्यालयीन प्रति हेतु इस प्रपत्र की फोटो कापी कर उपयोग मे लावें।

विभाग –11– वाणिज्य एवं उद्योग विभाग** 1105–पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़ (आंकड़े हजार रू. में)

| विभागीय लेखा 2017–2018 | बजट अनुमान 2018–2019 | 12 माह के वास्तविक आंकड़े 8 माह–2017–2018 | 4 माह–2018–2019 | योग | पुनरीक्षित अनुमान 2018–2019 | शीर्ष | बजट अनुम 2019–2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1,26 | 47 | - | 47 | 126 | 008 अन्य आकस्मिक व्यय | 135 |
| 1923 | 27,70 | 1923 | - | 1923 | 2770 | 009 सूचना प्रौद्योगिकी | 2963 |
| 89 | 2,14 | 65 | 49 | 114 | 214 | 011 पेट्रोल तेल आदि | 228 |
| 1234 | 10,42 | 1022 | 226 | 1248 | 1042 | 013 किराया, महसूल, कर | 1115 |
| | **59,88** | **3930** | **393** | **4323** | **5988** | मतदेय योग उद्देश्य **#-04** | **6410** |
| 10 | 10 | - | - | - | 10 | भारित # 15- डिकी धन का भुगतान (भारित) | 10 |
| | | | | | | # 24- अनुरक्षण कार्य | |
| 48 | 50 | 48 | 39 | 87 | 90 | 001 मोटर गाडी | 90 |
| 106 | 1,30 | 85 | 16 | 101 | 130 | 002 मशीन तथा उपकरण | 140 |
| **154** | **1,80** | **133** | **55** | **188** | **220** | मतदेय योग उद्देश्य **#-24** | **230** |
| 17850 | 3,06,19 | 13442 | 5208 | 18622 | 30672 | मतदेय योग योजना–(255) | 33415 |
| 10 | 10 | - | - | - | 10 | भारित | 10 |
| | | | | | | <<---- पुर्निप्राप्तियो का मद सहित उल्लेख करें। | |
| | | | | | | घटाईए पुर्नप्राप्तियां.....उचंत | |
| | | | | | | उपकर निधियां | |
| | | | | | | अन्य | |
| | 3,06,19 | 13442 | 5208 | 18622 | 30672 | मतदेय योग लघु शीर्ष– {200} | 33415 |
| | 10 | - | - | - | 10 | | 10 |
| | 3,06,19 | 13442 | 5208 | 18622 | 30672 | मतदेय योग लेखा शीर्ष– 3475 | 33415 |
| | 10 | - | - | - | 10 | भारित | 10 |
| | 3,06,19 | | | | | मतदेय योग राजस्व अनुभाग | |
| | 10 | | | | | भारित | |

Major head 3475

**(xii)** सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है

निरंक

(**xiii**) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

निरंक

## (xiv) किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

1/ छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधन 1998) के तहत् निम्नांकित प्रारूप कम्प्यूटर में संधारित है :–

- समिति पंजीयन हेतु निर्धारित ज्ञापन पत्र प्ररूप–1,
- समिति पंजीयन करने हेतु आदर्श नियमावली का प्ररूप
- नियमावली में संशोधन करने हेतु आवेदन निर्धारित प्ररूप–4,
- समिति द्वारा भूमि क्रय/विक्रय करने की पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु अधिनियम की धारा–21 के तहत निर्धारित प्ररूप–6,
- अधिनियम की धारा–27 के तहत् वार्षिक शासी निकाय सूची प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्ररूप–7

2/ भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत निम्नानुसार प्रारूप कम्प्यूटर में संधारित है :–

- भारतीय भागीदारी फर्मों के पंजीयन हेतु प्रपत्र–1
- भागीदारी फर्मों के नाम अथवा व्यवसाय के मुख्य स्थान की स्थिति में परिवर्तन विवरणी प्रपत्र–2
- भागीदारी फर्मों के व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन की सूचना प्रपत्र–3
- भागीदारों फर्मों के नाम अथवा स्थायी पते के परिवर्तन में सूचना प्रपत्र–4
- फर्म के गठन में परिवर्तन अथवा फर्म के विघटन की सूचना प्रपत्र–5
- व्यस्कता प्राप्ति पर भागीदारी के लाभ में शामिल हुए व्यक्ति द्वारा चुनाव की सूचना प्रपत्र–6

**(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है**

1/ सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत् आवेदन एवं प्रतिलिपि हेतु नगद शुल्क जमा करने की सुविधा ।

2/ सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत् कार्यालयीन अभिलेखों के अवलोकन की सुविधा ।

## (xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

| विभागाध्यक्ष / संभागीय कार्यालय | धारा–19 के अंतर्गत विभागीय अपीलीय अधिकारी | धारा–5(1) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी | धारा–5(2) के अंतर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी |
|---|---|---|---|
| विभागाध्यक्ष कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ, इन्द्रावती भवन, ब्लाक–एक, तृतीय तल, अटल नगर, जिला रायपुर दूरभाष – 2282549 | श्री डी.डी.महंत कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ, इन्द्रावती भवन, ब्लाक–एक, तृतीय तल, अटल नगर, जिला रायपुर दूरभाष – 0771– 2282549 | श्री आर. आर. राजभानू सहायक पंजीयक कार्यालय, रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ, इन्द्रावती भवन, ब्लाक–एक, तृतीय तल, अटल नगर, जिला रायपुर दूरभाष –0771– 2282549 | श्री प्रमोद कुजूर, निरीक्षक कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ, इन्द्रावती भवन, ब्लाक–एक, तृतीय तल, अटल नगर, जिला रायपुर दूरभाष – 0771– 2282549 |
| संभागीय कार्यालय, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, बस्तर संभाग, बोधघाट थाना के पीछे, जगदलपुर दूरभाष–07782–228266 | तदैव | श्री आर.आर.राजभानू सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, बस्तर संभाग, बोधघाट थाना के पीछे, जगदलपुर दूरभाष–07782–228266 | श्री बसंत दीवान सहायक वर्ग–2 कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, बस्तर संभाग, बोधघाट थाना के पीछे, जगदलपुर दूरभाष–07782–228266 |
| संभागीय कार्यालय, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, बिलासपुर संभाग, नया कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर दूरभाष–07752–250777 | तदैव | श्री अजय चौबे सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, बिलासपुर संभाग, नया कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर दूरभाष–07752–250777 | श्री सतीश शर्मा निरीक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, बिलासपुर संभाग, नया कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर दूरभाष–07752–250777 |
| संभागीय कार्यालय, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, सरगुजा संभाग, अम्बेडकर चौक, दत्ता भवन, विद्या नगर, अम्बिकापुर दूरभाष–07774–210317 | तदैव | श्री अजय चौबे सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, सरगुजा संभाग, अम्बेडकर चौक, दत्ता भवन, विद्या नगर, अम्बिकापुर दूरभाष–07774–210317 | श्री यशवंत कटकवार ऑडिटर कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, सरगुजा संभाग, अम्बेडकर चौक, दत्ता भवन, विद्या नगर, अम्बिकापुर दूरभाष–07774–210317 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| संभागीय कार्यालय, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, दुर्ग संभाग, एम.आई.जी. 258, हाऊसिंग बोर्ड, पदमनाभपुर, दुर्ग दूरभाष–07882–2326007 | तदैव | श्री डी.एल.धुर्वे सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, दुर्ग संभाग, एम.आई.जी. 258, हाऊसिंग बोर्ड, पदमनाभपुर, दुर्ग दूरभाष–07882–2326007 | श्री नरेन्द्र नारनवरे सहायक पंजीयक कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, दुर्ग संभाग, एम. आई.जी. 258, हाऊसिंग बोर्ड, पदमनाभपुर, दुर्ग दूरभाष–07882–2326007 |

## (xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा

**(अ)** छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973(संशोधन 1998) के अंतर्गत समितियों के पंजीयन हेतु एवं पंजीयन पश्चात् प्रस्तुत किए जाने वाले ज्ञापन/नियमावली, धारा–27 के अंतर्गत वार्षिक आमसभा की जानकारी, नियमावली में संशोधन, धारा–21 के अंतर्गत भूमि/अचल संपत्ति, क्रय–विक्रय, दान लेने–देने, हस्तांतरण/अंतरण करने एवं ऋण हेतु बंधक रखने संबंधी शुल्क एवं आवेदन प्रारूप :–

1/ समिति पंजीयन व अन्य कार्य हेतु विभागीय शुल्क की जानकारी :–

**अनुसूची**
**(नियम–4 में दखिये)**
**अधिकतम फीस**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1 | धारा–7 के अधीन सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण | रूपये 5000.00 |
| 2 | धारा–7 के अधीन महिला मण्डल का रजिस्ट्रीकरण | रूपये 1000.00 |
| 3 | धारा–7 के अधीन युवक मण्डल का रजिस्ट्रीकरण | रूपये 1000.00 |
| 4 | धारा–7 के अधीन महिला स्व–सहायता समूह का रजिस्ट्रीकरण | रूपये 500.00 |
| 5 | धारा–10 के अधीन प्रत्येक संशोधन हेतु | रूपये 1000.00 |
| 6 | धारा–21 की उपधारा–(3) के अधीन<br>(क) उपधारा (1) के अधीन आवेदन–<br>(एक) क्रय तथा विक्रय के लिये अनुज्ञा हेतु | (एक) क्रय मूल्य अथवा शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन का मूल्य, जो भी अधिक हो, का 2 प्रतिशत विक्रय का मूल्य अथवा शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन का मूल्य, जो भी अधिक हो, का 5 प्रतिशत |
| | (दो) प्रत्येक दान के लिये | (दो) रूपये 25,000.00 |
| | (ख) उपधारा (2) के अधीन स्थावर संपत्ति के अन्यथा उपयोग हेतु | रेखांक (प्लान) की लागत का 10 प्रतिशत या रूपये 50,000.00/– इसमें से जो भी अधिका हो |
| | भूमि लीज में लेने हेतु<br>भूमि लीज में देने हेतु<br>भूमि बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने की अनुमति | प्रीमियम मूल्य का दो प्रतिशत<br>प्रीमियम मूल्य का पांच प्रतिशत<br>शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन का मूल्य का पांच प्रतिशत |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | धारा–27 के अधीन विवरणी प्रति वर्ष | रूपये 1000.00 |
| 7 | धारा–28 के अधीन संपरीक्षित विवरण प्रति वर्ष | रूपये 1000.00 |
| 8 | धारा–29 के अधीन प्रतियॉ | रूपये 20.00 प्रति पृष्ठ सामान्य<br>रूपये 40.00 प्रति पृष्ठ अत्यावश्यक<br>रूपये 100.00 निरीक्षण प्रति रजिस्टर<br>रूपये 100.00 निरीक्षण विवरणी / मूल फाईल |

## छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम 1998 की नियम–4

**फीस–**अधिनियम के उपबंधों के अधीन देय फीस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी और सरकारी खजाने में जमा की जाएगी और खजाना चालान की एक प्रति रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी । ऐसी फीस रजिस्ट्रार के कार्यालय में भी उसकी रसीद अभिप्राप्त करके जमा की जा सकेगी ।

## छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम 1998 की नियम–5

**शास्ति –(1)**– यदि कोई सोसायटी, अधिनियम की धारा–21 की उपधारा(1) के उपबंधों का अतिक्रमण करती है तो वह सोसायटी नियम 4 के अधीन देय फीस की दुगुनी रकम जमा करने के दायित्वाधीन होगी और यदि सोसायटी की धारा–21 की उपधारा (2) के उपबंधों का अतिक्रमण करती है तो वह सोसायटी, संपत्ति की लागत की 20 प्रतिशत रकम जमा करने के दायित्वाधीन होगी ।

(2) किसी सोसायटी द्वारा धारा–27 एवं 28 के अधीन देय विलंब फीस, नियम–4 के अधीन देय फीस की रकम की दुगुनी होगी ।

1/ समिति पंजीयन हेतु सोसायटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसायटी को ज्ञापन

**<u>का प्रारूप–1</u>**

<u>सोसायटियो के रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसायटी का ज्ञापन</u>

1. सोसायटी का नाम :- .....

:- .....

2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय :-.....

:- .....

3. सोसायटी का उद्देश्य निम्नलिखित होगें :-

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

4. **सोसायटी के कामकाज का प्रबंध, सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, परिषद, संचालकों समिति या शासी-निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है :-**

| क्रं. | नाम | पिता/पति का नाम | पता (म.नं./वार्ड नं./ग्राम/पोस्ट/तह./जिला ) | उपजीविका |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |

5. **छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी विनयम की सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाइल की गई है। हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे गए है, उपरोक्त प्रतिष्ठान-ज्ञापन के अनुसरण में सोसायटी बनाने के इच्छुक है और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।**

| क्रं. | अभिदाताओं के नाम | पिता/पति का नाम | पूर्ण पते (म.नं./वार्ड नं./ग्राम/पोस्ट/तह./जिला ) | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |

साक्षी

तारीख :-
प्रति,

हस्ताक्षर :-.....

सोसायटी के रजिस्ट्रार,

नाम :-.....

पूर्ण पता :-.....

.....

# नियमावली

1. संस्था का नामः-.....

2. संस्था का कार्यालयः-.....

3. संस्था का कार्यक्षेत्रः-.....

4. संस्था का उद्देश्यः- ( जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वहीं लिखें )

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

5. सदस्यता :- **संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :-**

(अ) संरक्षण सदस्य :- **संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये ...../- या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।**

(ब) आजीवन सदस्य :- **जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये ...../- या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये ...../-या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।**

(स) साधारण सदस्य :- **जो व्यक्ति रूपये ...../- माह रूपये ...../- प्रतिवर्ष को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकाता है ।**

(द) सम्मानीय सदस्य :- **संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उसको मत देने का अधिकार न होगा ।**

6. सदस्यता की प्राप्ति :- **प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।**

7. सदस्यों की योग्यता :- **संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-**

1. **भारतीय नागरिक हो ।**
2. **आयु** 18 **वर्ष से कम न हो ।**
3. **समिति के उद्देश्यों एवं नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।**
4. **सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।**

**8. सदस्यता की समाप्ति** :- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-

1. चरित्रक दोष होने पर पागल होने पर या मृत्यु हो जाने पर ।
2. समिति विरोधी कार्य करने एवं नियमावली की अवहेलना करने पर ।
3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर ।
4. त्याग पत्र देने व उसे स्वीकार होने पर ।
5. कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित में देना होगा ।

**9. सदस्यता पंजी** :- संस्था कार्यालय में सदस्यों की पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे :-

1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय ।
2. वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया हो व रसीद नंबर ।
3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त की गई हो ।
4. सदस्यों के हस्ताक्षर ।

**10. (अ) साधारण सभा** :- साधारण सभा के नियम में दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह..... .....तथा बैठक का स्थान व समय कार्यरिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का अयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :- प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा। यदि बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नहीं होगी ।

(स) विशेष :- यदि कम से कम कुल संस्था (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जाएगी विशेष संकल्प पारित हो जाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का **अधिकार होगा।**

**11. साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य :-**

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।
(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
(छ) बजट का अनुमोदन करना ।

12. प्रबन्धकारिणी का गठनः-ट्रस्टीज यदि हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ, ब, स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारीयों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को निर्वाचन होगा :-

1. अध्यक्ष, 2. उपाध्यक्ष, 3. सचिव, 4. कोषाध्यक्ष,
5. संयुक्त सचिव एवं सदस्य -

13. **प्रबंध समिति का कार्यालय** :- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

14. **प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य :-**

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए ।

(च) संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम रहेगी ।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावन संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जाएगी ।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. **अध्यक्ष के अधिकार :-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार :-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

17. **सचिव (मंत्री) के अधिकार :-**

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना ।

2. समिति की आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।

4. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये ...../- व्यय करने का अधिकार होगा ।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार** :- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

19. **कोषाध्यक्ष का अधिकार** :- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

20. **बैंक खाता** :- संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये ...../- रहेगें ।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :-** अधिनिमय की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय-नियत शुल्क क साथ भेजेगी ।

22. **संशोधन** :- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक के कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा । संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय-नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी ।

23. **विघटन** :- संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्दश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी । उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

24. सम्पत्ति :- संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।

25. बैंक खाता :- संस्था की समस्त निधि का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

26. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना** :- संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार के आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

27. **विवाद** :- संस्था में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों पर संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

**3/ समिति पंजीयन पश्चात् अचल संपत्ति, क्रय/विक्रय करने, दान लेने–देने, हस्तांतरण/अंतरण करने हेतु अधिनियम की धारा–21 के तहत् आवेदन प्रस्तुत करने का निर्धारित प्रारूप :–**

प्रारूप–छः

(नियम 10 देखिये)

छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा–21 के अधीन स्थावर संपत्ति अर्जित करने या विक्रय, दान आ अन्यथा के लिये अनुज्ञा चाहने हेतु आवेदन

1. सोसायटी का नाम तथा पूरा पता .....
2. सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख .....
3. सोसायटी की स्थावर संपत्ति की पूर्ण विशिष्टियॉ .....
4. अर्जित/क्रय/दान/अंतरण/विक्रय की जाने वाली या अन्यथा स्थावर संपत्ति की खसर, क्रमांक, नक्शा स्वाम्तिव के प्रमाण पत्र आदि के साथ पूर्ण विशिष्टियॉ .....
5. स्थावर संपत्ति के विक्रय/क्रय या अन्यथा अंतरण या सोसायटी के उद्देश्यों से भिन्न संपत्तिके उपयोग का कारण .....
6. संपत्ति के क्रेता या विक्रेता का पूरा नाम तथा पता .....
7. स्थानीय सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा स्थावर संपत्ति के मूल्य की युक्तियुक्तता प्रमाण पत्र .....
8. स्थावर संपत्ति का क्रय/विक्रय या अंतरण करने के लिये सोसायटी के नियमों तथा विनियमों के अनुयार कार्यवृत्त (संकल्प) की प्रतियां .....
9. यदि विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जनजाति का हो, तो इस संबंध में कलेक्टर का आदेश संलग्न करें .....
10. अन्य कोई जानकारी, यदि कोई हो (जैसे कि निधियों के स्त्रोत आदि) .....
11. स्थावर संपत्ति क्रय, विक्रय, अंतरण आदि के लिये अनुज्ञा फीस रूपये ..... रसीद/चालान क्रमांक.....तारीखी..... द्वारा जमा की गई है, चालान की मूल प्रति संलग्न है। .....

.....

अध्यक्ष के नाम एवं हस्ताक्षर

# • अन्य आवश्यक ज्ञापन व परिपत्र

## (1) विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000

अधिसूचना क्रं. 293/2000, दिनांक 25 अप्रैल, 2001 म.प्रं. पुनर्गठन अधिनियम 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :–

### आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम ''विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000'' है।
(दो) यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा।

2. इस आदेश की सूची में विनिदिष्ट, समय–समय पर, यथा संशोधित ऐसे नियम जो छत्तीसगढ़ की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा, तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं। उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त नियमों में ''मध्यप्रदेश'' के स्थान पर जहां कही भी वे आयें हो शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किया जाए।

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियमों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई भी कार्यवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

### अनुसूची

| क्रमांक | विधियों के नाम |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1 | म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रं. 44 सन् 1973) |
| 2 | म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की अशासकीय शिक्षण संस्था अधिनियम 1978 (क्रं. 20 सन् 1978) के संबंध में। |
| 3 | म.प्रं. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1998 |

(छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25.04.2001 पृष्ठ 146 (1) पर प्रकाशित)

# विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000

अधिसूचना कं. 293/2000, दिनांक 25 अप्रैल, 201– म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :–

## आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम ''विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000'' है।

(दो) यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा।

2. इस आदेश की सूची में विनिर्दिष्ट, समय–समय पर, यथासंशोधित ऐसे नियम जो छत्तीसगढ़ की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा, तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं। उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त नियमों के ''मध्यप्रदेश'' के स्थान पर जहां कहीं भी वे आयें हों शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किया जाए।

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियमों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई भी कार्यवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

## अनुसूची

| क्रमांक | विधियों के नाम |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1 | भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 |
| 2 | भारतीय भागीदारी (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 34 सन् 1998) |

(छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25.04.2001 पृष्ठ 145–146 पर प्रकाशित)

# छत्तीसगढ़ राज्य में ऑनलाईन पंजीयन हेतु मार्गदर्शिका

1. ज्ञापन पत्र में कम से कम 7 अभिदाता/निमार्णकर्ता होना अनिवार्य है, उनके नाम, पिता/पति के नाम, पूर्ण आवासीय पते एवं उपजीविका का उल्लेख हो।

2. ज्ञापन पत्र में अभिदाताओं के हस्ताक्षर किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। साक्ष्य का नाम, पता इत्यादि पूर्ण उल्लेखित होना चाहिए।

3. समिति का नाम अधिनियम की धारा 6 के अनुरूप होना आवश्यक है। यदि पूर्व में अन्य प्रस्तावित नाम से पंजीकृत हो तो नाम परिवर्तन किया जाना चाहिये।

4. समिति के उद्देश्य, शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक एवं खैराती एवं जनकल्याणकारी संबंधित हो।

5. ज्ञापन एवं नियमावली में एक समान उद्देश्य, एक समान संस्था का नाम एवं संस्था कार्यालय का पता भी एक समान अंकित होना आवश्यक है।

6. नियमावली के प्रत्येक पृष्ठ पर समिति के कार्यकारिणी सदस्य के कम से कम तीन–तीन हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

7. पंजीयन हेतु पंजीयन शुल्क – समाज समिति हेतु 5000/–, महिला मंडल हेतु 1000/– एवं नवयुवक मंडल हेतु 1000/– निर्धारित है, जो चालान द्वारा निम्न मद में ऑनलाईन पटाकर चालान की मूलप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करना आवश्यक है। महिला स्व सहायता समूह हेतु पंजीयन शुल्क 500/– रूपये का चालान जमा कराया जाना चाहिए।

   **''1475– अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें**
   **200– अन्य व्यापारिक उपक्रमों का विनियमन''**

8. चालान में पूर्ण शीर्ष–मुख्य एवं लघु दोनों अंकित होना चाहिए अन्यथा चालान स्वीकृत योग्य नहीं माना जावेगा।

9. सदस्यता शुल्क सुशंगत भरा जाना आवश्यक है।

10. नियमावली के नियम 10 में वार्षिक आमसभा के माह निर्धारित होना चाहिए।

11. सचिव एवं कोषाध्यक्ष के वित्तीय सीमा भरा होना चाहिए।

12. नियमावली के नियम 12 में कार्यकारिणी की सदस्य संख्या निश्चित होना चाहिए।

13. प्रत्येक पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख होना चाहिए।

# नकल हेतु आवश्यक मार्गदर्शन

1. नकल हेतु साधारण दर रूपये 20/– प्रति पेज, एवं अर्जेट 40/– प्रति पृष्ठ के हिसाब से चालान मद क्रमांक 9 के अनुसार चालान दस्तावेज की मूलप्रति जमा करना आवश्यक है।

2. प्रति दस्तावेज के नकल हेतु रूपये 10/– का स्टाम्प पेपर कोरा जमा करना आवश्यक है।

3. रूपये 5/– का कोर्ट फी टिकट आवेदन पत्र के ऊपर चस्पा करना चाहिए।

4. आवेदन पत्र में संस्था का नाम, पता, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक तथा आवेदनकर्ता का पूर्ण पता एवं हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

———————————

**बैंक चालान गुम हो जाने की स्थिति में जारीकर्ता शाखा से निम्नानुसार प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे :–**

**State Bank of India**

Specialised Govt. Business Br. Raipur (13105)

**********

CERTIFICATEN IN LIEU OF LOST/MISPLACED CHALLAN

**********

Certified that a sum of Rs.....(Rupees.....)

for credit to the State Government account under the Head. The amount has been included in the Scroll dated.....at Serial No.....

Place : Specialised Govt. Business Br. Raipur (13105)

Date : .....

Branch Manager

———————————

# पंजीकृत समितियों की विभिन्न कार्यवाहियों हेतु मार्गदर्शन

पंजीकृत समितियों द्वारा निम्न कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाना चाहिये :

## (क) पंजीयन के तुरंत बाद :

1. कार्यकारिणी एवं आमसभा की पंजी बनाना चाहिये।
2. सूचना पंजी बनाना चाहिये।
3. कैश–बुक, लेजर–बुक लिखना प्रारंभ करना चाहिये।
4. बैंक में खाता खोलना चाहिये।
5. सदस्यता पंजी संधारित कर सदस्यता हेतु आवेदन–पत्र एवं सदस्यता रसीद कट्टा बनाना चाहिये।

## (ख) पंजीयन के तीन माह के भीतर :

1. पंजीयन के पश्चात् तीन माह के भीतर प्रथम आमसभा का आयोजन करते हुए इसमें कार्यकारिणी पदाधिकारियों का निर्वाचन कराया जाना चाहिये।

## (ग) पंजीयन के पश्चात् प्रतिवर्ष :–

1. प्रतिवर्ष आमसभा का आयोजन करते हुए इसका कार्यवाही विवरण आमसभा पंजी में लिखना चाहिये तथा इसकी जानकारी आमसभा के 45 दिवस के भीतर धारा 27 के प्रारूप पर पंजीयक को मूलतः प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें संलग्न प्रारूप में कार्यरत कार्यकारिणी पदाधिकारियों के विवरण मूल हस्ताक्षर के साथ होना चाहिए। रूपये 1000/– के चालान के साथ पंजीयक के कार्यालय में जमा करना चाहिये। यदि नियमावली में आमसभा का माह नियत है तो इसके 45 दिवस अन्यथा 31 जनवरी के 45 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

2. चालान का लेखा शीर्ष इस प्रकार है :

   **"1475– अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें**
   **200– अन्य व्यापारिक उपक्रमों का विनियमन"**

3. अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत 30 अप्रैल से 90 दिवस के भीतर समिति के आय–व्यय पत्रक, बैलेंश शीट इत्यादि रूपये 1000/– चालान के फाईलिंग शुल्क के साथ पंजीयक के कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि रूपये 1 लाख से अधिक का टर्न ओवर है तो चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा परीक्षित लेखा प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि संस्था की नियमावली में वार्षिक आमसभा का माह नियत नहीं हैं तो उन्हे 30 अप्रैल से 90 दिवस के भीतर जानकारी प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा निर्धारित माह के 90 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4. यदि उपरोक्त जानकारी निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है तो उपरोक्त शुल्क का दुगुना चालान प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

(घ) उपरोक्त धारा 27 एवं 28 की जानकारी प्रस्तुत करने की जवाबदारी पंजीकृत सोसायटी पर ही है। यह जानकारी डाक द्वारा भी प्रेषित की जा सकती है।

(ड.) नियमों में संशोधन के लिये एवं पते में परिवर्तन के लिये पंजीयक के कार्यालय में धारा 10 के अनुसार आवेदन पत्र पर जानकारी प्रस्तुत करते हुए संशोधन का प्रमाण–पत्र लेना चाहिये।

(च) भूमि खरीदने, बेचने हेतु धारा 21 के पत्र पर नियमानुसार आवेदन पंजीयक के कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना चाहिये।

(छ) आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन/जानकारी पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं छत्तीसगढ़ रायपुर के दूरभाष कं. 0771–2282549 से भी प्राप्त की जा सकती है।

————————

**प्रारूप–7**
**(नियम 11 देखिये)**

रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटी को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973की धारा 27 के अधीन शासी–निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र वर्ष.....

| | | |
|---|---|---|
| 1. सोसायटी का पूरा नाम व पता | :– | नाम.....<br>पता.....<br>.....<br>कार्यक्षेत्र..... |
| 2. रजिस्ट्रेशन क्रमांक व दिनांक | :– | ..... |
| 3. कुल सदस्यों की संख्या, उनके नाम व पते संलग्न करें। | :– | ..... |
| 4. रजिस्ट्रीकृत नियमों तथा विनियमों के अनुसार शासी–निकाय की अवधि। | :–<br>:– | .....<br>..... |
| 5. वर्तमान निर्वाचन की तिथि और उपस्थित सदस्यों की संख्या एवं गणपूर्ति क्या थी। | :– | ..... |
| 6. विद्यमान पदाधिकारियों ने पूर्व पदाधिकारियों से किस तारीख को कार्यभार ग्रहण किया एक सूची उनके नाम, पते तथा उपजीविकायें उनके हस्ताक्षर सहित संलग्न करें। | :– | ..... |
| 7. पूर्व निर्वाचन की तारीख | :– | ..... |
| 8. सोसायटी के नियमों तथा विनियम के अनुसार वार्षिक साधारण सम्मेलन का मास तथा दिनांक। | :– | ..... |
| 9. अंतिम वार्षिक सूची कब प्रस्तुत की गई थी, यदि प्रस्तुत नहीं की गई हो तो उसका क्या कारण था। | :– | ..... |
| 10. इस वर्ष के वार्षिक साधारण सम्मेलन के कार्यवृत्त तारीख सहित संलग्न करें। | :– | ..... |
| 11. छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधीन सूची की वार्षिक फीस चालान की मूलप्रति संलग्न है। | :– | ..... |

मैं..... पिता.....
पद.....आयु..... प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के सत्य है और मैं यह जानता हूं कि कोई मिथ्या जानकारी देना अधिनियम की धारा 38 (2) के अधीन दण्डनीय है।

**अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर**

# कुल सदस्यों की सूची

| क्रमांक | नाम व पता | सदस्यता का प्रकार |
|---|---|---|
| | | |

वर्तमान कार्यकारिणी :–

| क्रमांक | नाम | पद जिस पर नियुक्त हुए | व्यवसाय | पता | पद पर किस दिनांक से किस दिनांक तक रहेंगे | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |

पूर्व कार्यकारिणी :–

| क्रमांक | नाम | पद जिस पर नियुक्त हुए | व्यवसाय | पता | पद पर किस दिनांक से किस दिनांक तक रहेंगे | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |

# रूप क्रमांक–1
## विवरण प्रस्तुत करने का पत्रक
## (देखिये नियम–3)

(..... के नाम से फर्म की रजिस्ट्री के हेतु आवेदन पत्र फर्मों के रजिस्ट्रार को प्रकरण पत्र में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तुत अथवा प्रेषित)

हम निम्न हस्ताक्षरित फर्म के साझेदार होने के कारण उक्त फर्म की रजिस्ट्री के लिये आवेदन करते हैं तथा उस आशय के हेतु इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा–58 के अनुसरण में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत हैं :–

फर्म का नाम .....

कारोबार का स्थान

(अ) प्रमुख स्थान .....

(ब) अन्य स्थान .....

| साझेदारों के पूरे नाम | फर्म में सम्मिलित होने का दिनांक | पूरा स्थायी पता |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |

यदि कोई साझेदार अवयस्क हो, तो यह तथ्य कि क्या वह साझेदारी के लाभों का स्वत्वाधिकारी हैं, यहां लिखा जाना चाहिये,

फर्म की अवधि.....

स्थान..... साझेदार या उनके विशेष रूप से

दिनांक..... प्राधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर

मैं .....आत्मज ..... आयु ..... वर्ष ..... ..... धर्म ..... इसके द्वारा यह घोषित करता हूं कि उपरोक्त वृत्तांत मेरे पूर्णतम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य तथा यथार्थ है,

स्थान..... .....

स्थान..... हस्ताक्षर

दिनांक.....

साक्षी–

1. .....
2. .....